न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. / 2016 निगरानी

राजेश सिंह पुत्र मोरध्वज सिंह
निवासी ग्राम माजन मोड़ तहसील व जिला सिंगरौली (म.प्र.)

..... आवेदक

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन पावर लिमिटेड, सिंगरौली
2. रामबदन पुत्र शंखलाल वैश्य
निवासी ग्राम नौगढ़ तह. व जिला सिंगरौली

..... अनावेदकगण

न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 1244/अपील/15–16 में पारित आदेश दिनांक 05.08.2016 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि –

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्अया ही निरस्त योग्य है।

2– यह कि, अपर कलेक्टर सिंगरौली द्वारा इस बात को नजर अंदाज किया गया है कि ग्राम अमलौरी की भूमि खसरा नं. 133/3ख रकवा 1.600 हे. भूमि रिक्त जिसे अनावेदक कं. 2 रामबदन से आवेदक ने दिनांक 14.03.2007 को रजिस्टर्ड विकय पत्र से कय की है और उक्त भूमि पर कान्सटर मूव्हर्स प्राइवेट लि. के नाम से कम्पनी का संचालन किये हुये हैं। उक्त भूमि का

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3214–दो/2016 जिला–सिंगरौली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20 –10–2016	1– यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 1244/अपील/15–16 में पारित आदेश दिनांक 05.08.2016 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि ग्राम अमलौरी तहसील सिंगरौली की कतिपय शासकीय भूमियों को अवैध रूप से निजी स्वामित्व में दर्ज अभिलेख किए जाने की शिकायतों पर कलेक्टर द्वारा अपर कलेक्टर सिंगरौली उपखंड अधिकारी सिंगरौली संयुक्त कलेक्टर सिंगरौली एंव तहसीलदार सिंगरौली से जांच कराई गई। जांच दल द्वारा जांचोपरांत ग्राम अमलोरी तहसील सिंगरोली स्थित कतिपय भूमियां जिनमें प्रश्नाधीन भूमि ख.नं. 133/3ख रकवा 1.600 है0 भी शामिल है के संबंध में जांच प्रतिवेदन दिनांक 20.7.12 को प्रस्तुत किया गया कि उक्त भूमियां म.प्र. शासन राजस्व विभाग की है जिनके अभिलेखों में अवैध रूप से निजी स्वामित्व में दर्ज किया गया है। निजी स्वामित्व में दर्ज किये जाने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। प्रतिवेदन में उल्लिखित विभिन्न व्यक्तियों के निजी स्वामित्व में दर्ज भूमियों को पूर्ववत म.प्र. शासन के स्वामित्व में दर्ज किए जाने की अनुशंसा की गई। कलेक्टर ने उक्त प्रतिवेदन के आधार पर प्र.कं. 16/अ–74/12–13 पंजीबद्ध करते हुये आदेश दिनांक 23.10.12 द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों में अभिलिखित भूमिस्वामियों के नाम विलोपित करते हुये पूर्ववत म.प्र. शासन के स्वामित्व में दर्ज अभिलेख किये जाने के आदेश दिये गए। वाद भूमि राजस्व अभिलेख में म.प्र. शासन दर्ज होने से अनावेदक शासन पावर लिमि. द्वारा वाद भूमि की आवश्कयता होने से आवंटित किये जाने	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	बावत अपर कलेक्टर सिंगरौली के समक्ष आवेदक व अनावेदक कं. 2 को पक्षकार बनाये बिना आवेदन पेश किया जिस पर से प्र.कं. 03/अ–20/15–16 दर्ज कर आदेश दिनांक 13.06.2016 द्वारा अनावेदक कं. 1 शासन पावर लिमि. के पक्ष में आदेश पारित किया। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो आदेश दिनांक 05.08.2016 को ग्राह्यता पर ही निरस्त कर दी गई। अपर आयुक्त रीवा के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3– आवेदक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में बताया कि वाद भूमि ख.नं. 133/2 रकवा 3.439 है0 भूमि म.प्र. शासन दर्ज थी का वर्ष 1981–82 में अनावेदक कं. 2 रामबदन के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज की गई थी जिस पर निरंतर काबिज होकर राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी दर्ज चला आ रहा था। उक्त भूमि में से अंश रकवा 1.600 है0 भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.03.07 से आवेदक ने अनावेदक कं. 2 रामबदन से क्रय की है जो ख.नं. 133/3ख रकवा 1.600 है0 भूमि आवेदक के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हुई। कलेक्टर सिंगरौली ने प्र.कं. 16/अ–74/12–13 म.प्र. शासन वि. रामवती दर्ज कर आवेदक व अनावेदक कं. 2 रामबदन व अन्य हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना अपने आदेश के पृष्ठ कं. 8 सरल कं. 37 में ख.नं. 133/2 रकवा 3.439 है0 भूमि पर आवेदक राजेश सिंह, अनावेदक कं. 2 रामबदन व अन्य का नाम अंकित किया गया। जिस समय कलेक्टर द्वारा आदेश पारित किया गया उस समय भूमि उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अंकित थी। कलेक्टर द्वारा आदेश दिनांक 23.10.2012 पारित करने के पूर्व आवेदक एवं अनावेदक कं. 2 रामबदन व अन्य को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है एवं उनके पीठ पीछे भूमि को म.प्र. शासन दर्ज किया गया है जो पूर्णतया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। यह तर्क दिया गया गया है कि जांच दल द्वारा जांच प्रतिवेदन के पृष्ठ कं. 20 पद कं. 21 में भूमि ख.नं. 133/3	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश--ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3214--दो/2016 जिला--सिंगरौली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	रकवा 3.439 है भूमि नायब तहसीलदार अमिलिया के पंजी कं. 81 दिनांक 20.6.81 के आधार पर अनावेदक कं. 2 रामबदन के निजी स्वत्व में दर्ज की गई है किन्तु उक्त प्रविष्टि अवैध है। उक्त प्रतिवेदन भूमियों के पीठ पीछे एक ही स्थान पर बैठकर तैयार किया गया है तथा जांच दल द्वारा भी उन्हें अपना पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया है तथा जानबूझकर भूमियों को शासकीय घोषित किया गया है। यदि आवेदक को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता तो वह इस संबंध में सही स्थिति रख सकते थे। अतः उक्त अवैध जांच प्रतिवेदन को आधार बनाकर कलेक्टर नें आदेश दिनांक 23.10.2012 पारित करने में त्रुटि की गई है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा कहा गया है कि उनका संबंध केवल उनके भूमि स्वामित्व की भूमि वर्तमान ख.नं. 133/3ख रकवा 1.600 है0 भूमि तक है कलैक्टर के सम्पूर्ण आदेश से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। यह तर्क दिया गया कि कलेक्टर द्वारा पट्टा प्राप्त होने के 30 वर्ष एवं आवेदक द्वारा क्रय करने के 5 वर्ष पश्चात स्वमेव शक्तियों का उपयोग किया गया है जो विधि संगत नहीं है। इस संबंध में उनके द्वारा राजस्व मण्डल माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के अनेक न्याय दृष्टांतों का हवाला दिया गया है। यह तर्क दिया गया कि कलेक्टर द्वारा आदेश दिनांक 23.10.12 पारित करने के पूर्व पटटो को निरस्त करने के बावत कारण बताओ सूचना पत्र जारी करना था एवं सुनवाई के उपरांत कानूनन निर्णय किया जाना चाहिए था	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	जबकि इस प्रकरण में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नही की गई है एव जांच दल के प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित किया गया है। यह तर्क भी दिया गया कि कलेक्टर के आदेश दिनांक 23.10.2012 से वाद भूमि राजस्व अभिलेख में म.प्र. शासन दर्ज हो जाने से अनावेदक कं. 1 शासन पावर लिमि. ने अपर कलेक्टर सिंगरौली के समक्ष वाद भूमि की आवश्यकता होने से उसके पक्ष में बंटन किये जाने बावत आवेदन पेश किया था अपर कलेक्टर ने प्र.कं. 03/अ–20 /15–16 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की जिसकी जानकारी आवेदक को होने पर आवेदक एंव अनावेदक रामबदन ने उपस्थित होकर अपना जबाव पेश किया था कि उक्त आराजी अनावेदक रामबदन के निजी स्वत्व की है अपनी वैध आवश्कयता की पूर्ति हेतु आवेदक के पक्ष में अंश रकवा 1.600 है0 भूमि का बयनामा निष्पादित करा दिया था जिसमें आवेदक ने कय करने के पश्चात काफी रूपया व्यय कर दिया है उक्त जबाव का अवलोकन किये बिना विधि व प्रकिया के विपरीत अपर कलेक्टर ने आलोच्य आदेश दिनांक 13.06.2016 पारित किया उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील पेश की जो आदेश दिनांक 5.8.2016 द्वारा अभिलेख मंगाये बिना ग्राह्यता के बिन्दु पर ही अपील निरस्त कर अपर कलेक्टर का अदोश स्थिर रखने में त्रुटि की है। इस प्रकार आवेदक ने ख.नं. 133/3 ख रकवा 1.600 है0 भूमि के संबंध में अधीनस्थ सभी न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। 4– अनावेदक क्रं. 1 म.प्र. शासन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में यह बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में जो आदेश पारित किये गये हैं वह विधिवत एवं सही होने से स्थिर रखे जाने एवं वर्तमान निगरानी बलहीन एवं सारहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। अनावेदक कं. 2 के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किये	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3214–दो/2016 जिला–सिंगरौली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	गये हैं कि वह प्रश्नगत भूमि का विधिवत मालिक व स्वामी है तथा उसका कब्जा दखल होकर भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज थी उसे उक्त भूमि को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार था ऐसी स्थिति में उसके द्वारा आवेदक के पक्ष में किया गया विक्रय पत्र विधि सम्मत एवं कानूनन सही है। 5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया एवं प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया तथा आलोच्य आदेशों का परिशीलन किया कि नायब तहसीलदार अमिलिया के पंजी कं. 81 आदेश दिनांक 20.6.81 द्वारा ग्राम अमलोरी तहसील सिंगरौली में स्थित प्रश्नाधीन शासकीय भूमि ख.नं. 133/2 रकवा 3.439 है0 भूमि अनावेदक कं. 2 रामबदन के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज की गई थी। उक्त आदेश दिनांक 20.6.81 द्वारा की गई प्रविष्टि को लगभग 30 वर्ष पश्चात कलेक्टर सिंगरौली नें स्वप्रेरणा निगरानी में लेकर आवेदक एवं अनावेदक कं. 2 रामबदन व अन्य व्यक्तियों के वादभूमि पर से राजस्व अभिलेख में से नाम काटे जाकर म.प्र. शासन के नाम दर्ज करने में त्रुटि की है आवेदक ने बाद भूमि ख.नं. 133/3 ख रकवा 1.600 है0 भूमि अनावेदक कं. 2 रामबदन से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की है तदनुसार आवेदक सजेश सिंह का राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी स्वत्व पर नाम दर्ज हो गया लेकिन कलेक्टर के आदेश दिनांक 23.10.2012 के पालन में बाद भूमि म.प्र. शासन दर्ज हो जाने से अपर कलेक्टर ने प्र.कं. 03/अ–20/15–16 दर्ज कर आदेश दिनांक 13.06.2016 द्वारा अनावेदक कं. 1 शासन पावर लिमि. के पक्ष में प्रश्नाधीन भूमि उपयोग करने की अनुज्ञा प्रदान कर दी। इस प्रकार कलेक्टर, अपर कलेक्टर के आदेश से यह भी स्पष्ट है कि उनके द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व आवेदक आदि को अपना पक्ष	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया है। अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील को उनके द्वारा ग्राह्यता के बिन्दु पर ही निरस्त करने में त्रुटि की है। इस कारण कलेक्टर द्वारा अपने आदेश दिनांक 23.10.2012 में आवेदक की बाद भूमि ख.नं. 133/3ख रकवा 1.600 है0 के संबंध में निकाले गये निष्कर्ष एवं पारित आदेश का अंश एवं उसके पश्चात अपर कलेक्टर व अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर सिंगरौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.10.12 का अंश जहां पर आवेदक के स्वामित्व की भूमि ख.नं. 133/3 ख रकवा 1.600 है0 भूमि का संबंध है निरस्त किया जाता है एवं उक्त आदेश के परिणामस्वरूप अपर कलेक्टर सिंगरौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.06.2016 एवं अपर आयुक्त रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.08.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं। तहसीलदार सिंगरौली को निर्देश दिये जाते हैं कि आवेदक के हक में हुये नामांतरण आदेश के अमल को राजस्व अभिलेख में से उक्त आदेशों के पालन में काटा गया हो तब उसे पुनः पूर्ववत आवेदक के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करें। सदस्य	